न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी :—श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा

दायर दिनांक — 3.10.2016

प्रकरण संख्या : 398/2016(राजस्व वाद)

फैसल दिनांक — 14.3.18

1— लीली पुत्री भूरा सारंगोत जाति पटेल निवासी पाडवा

2— श्रीमती अमृत बेवा भूरा सारंगोत जाति पटैल निवासी पाडवा

(वादीगण)

बनाम

1— श्री भगवान पिता लवजी सारंगोत जाति पटेल निवासी पाडवा

2— श्री वासूदेव पिता लवजी सारंगोत जाति पटेल निवासी पाडवा

3— श्री मोगजी पिता लवजी सारंगोत जाति पटैल निवासी पाडवा

4— भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण— श्री मयंक दोसी

वकील प्रतिवादीगण— श्री मुनीर

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 गांव पाडवा के निवासी होकर आपस में रिश्तेदार है । वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त स्वामित्व एंव कब्जेदारी के मोजा पाडवा के खाता संख्या 858/794 जिसमें कुलज खेत 21 कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा है।यह कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य करीब 10—15 वर्ष पूर्व ही उक्त आराजीयात का बंटवारा हो चुका है एवं उसी अनुसार वे मोके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं लेकिन अब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादीगण को वादीगण के हिस्से की आराजीयात पर काश्त करने में रूकावट कर रहे हैं एंव जब भी वादीगण काश्त करने जाते हैं वे लडाई

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

झगडा करने पर उतारू होते हैं जिससे वादीगण उक्त आराजीयात का खाता प्रतिवादीगण
संख्या 1 से 3 के साथ शिरकती नही चला सकते हैं। यह कि वादीगण अपने हिस्से की भूमि
पर काश्त करने गये तो प्रतिवादीगण संख्या1 से 3 ने लडाई झगडा किया जिससे उपरोक्त
आराजीयात का बंटवारा कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई
निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है कि वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण के कृषि कार्य
में किसी प्रकार की रूकावट न करे ।

वादीगण द्वारा वाद के अन्त में मोजा पाडवा के खाता संख्या 858/794के कुल
खेत 21 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि का जिसमें वादीगण का 1/2 हिस ,प्रतिवादीगण
संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस है उसी हिस्से अनुसार बंटवारा कर वादीगण के उक्त 1/2
हिस्से को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 से अलग कर राजस्व रेकार्ड में वादीगण का खाता
प्रथक से दर्ज करने एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध वादीगण के हिस्से की भूमि पर
वादीगण के कृषि कार्य में किसी प्रकार की रूकावट नहीं करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए
जाने का निवेदन किया गया है ।

वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए
खाता संख्या 858/794 की नकल ,नकल खसरा गिरदावरी एंव नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया
है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत
करने सम्मन जारी किए गए ।प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से एक
पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए ।प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 24.4.2017 को
जवाब प्रस्तुत किया गया ।

प्रतिवादीगण के जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण की मूल पत्रावली
न्याय आपके द्वार लोक अदालत केम्प पाडवा पर पक्षकारान को नोटिस जारी किए जाकर
दिनांक 19.5.2017 को पेश हुई । केम्प में वादीगण एवं प्रतिवादी भगवान को राजीनामा हेतु
समझाईश की जाने पर लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो राजीनामा हेतु सहमत होकर
वादपत्र के अनुसार बंटवारा हेतु सहमत होने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर
तहसीलदार सागवाडा को बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेश दिए गए ।

तहसीलदार सागवाडा द्वारा जरिये क्रमांक राजस्व/108 दिनांक 22.2.2018 से
बंटवारा रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की गई ।

खातेदारान का नाम	खसरानम्बर	रकबा
भगवान ,वासूदेव,मोगजी पिता लवजी हिब सादेह खातेदार बैंक रहन बदस्तु	141/1	0.13
	1439/1	1.00
	1439/3	0.02
	1491/1	0.08
	1545/1	0.04

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

	1560/1	0.03
	1595/1	0.06
	1599/1	0.03
	1678/1	0.03
	1694/1	0.05
	1706/1	0.05
	3399/1	0.03
	4376/1	0.02
	4586/1	0.06
	4718/1	0.032
	4777/1	0.023
लीला दु0भूरा अमृत बेवा भूरा हिब पटेल सादेह खातेदार बैंक रहन बदस्तुर	8219/1	0.02
	141/2	0.01
	1439/2	1.00
	1439/4	0.02
	1491/2	0.08
	1545/2	0.04
	1560/2	0.02
	1595/2	0.06
	1599/2	0.02
	1678/2	0.03
	1694/2	0.06
	1706/2	0.05
	3399/2	0.03
	4376/2	0.02
	4586/2	0.05
	4704	0.09
	4777/2	0.04
शामलाती खाता बदस्तुर	8219/2	0.03
	1439/5	0.02
	4718/2	0.01

मौजा पाडवा खाता नम्बर 805 किता 1 रकबा 1बीघा 8 बिस्वा का बंटवारा –

प्रवीणकुमार पिता मोगजी 1/3 दुर्गादेवी पत्नी डायालाल पंचाल1/3 भगवान पिता लवजी 1/3 सादेह खातेदार	4703/1	0.15

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

लीला दु0 भूरा अमृत बेवा भूरा पटेल सादेह खातेदार	4703/2	0.11
शामलाती खाता बदस्तुर	4703/3	0.02

मौजा हुदेला के खाता नम्बर 168 किता 3 का बंटवारा –

भगवान वासूदेव मोगजी पिता लवजी पटैल बैंक रहन बदस्तुर	819/1	0.18
	928/1	0.06
	930	0.05
लीला दु0 भूरा अमृत बेवा भूरा पटेल बैंक रहन बदस्तुर	819/2	0.17
	928/2	0.07
	930/1	0.05

खसरा नम्बर 4703/3 एवं 4718/2 रकबा कमशः 0.02बीघा ,0.01बीघा में सभी काश्तकारों का रास्ता शामलाती होने से एवं खसरा नम्बर 1439/5 रकबा 0.02बीघा में शामलाती कुआ होने से कुल किता 3 रकबा 0.05बीघा शामलाती खाते में बदस्तुर रखा है ।

प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट पर पक्षकारान वकील को सुना गया।पक्षकारान वकील प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट से सहमत हो तदनुसार अन्तिम डिकी जारी कराने निवेदन किया गया ।

अतः वाद वादी स्वीकार एवं अन्तिम डिकी जारी की जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि संलग्न बंटवारा रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर रेकार्ड में तदनुसार अमलदरामद करें।बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ (अ) निर्णय एंव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा ।

पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा